बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी

ग्रामीण विकास विभाग

बिहार, पटना ।

बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाईटी के अन्तर्गत कनीय अभियंता के 1290 पदों पर संविदा आधारित नियोजन हेतु विज्ञापन

मनरेगा योजना के सफल कार्यान्वयन एवं उससे संबंधित तकनीकी कर्तव्यों के निर्वहन हेतु संविदा के आधार पर कनीय अभियंता के पद पर नियोजन हेतु 1290 पदों के विरूद्ध ऑन-लाईन (Online) आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते है। आवेदन पत्र का प्रारूप ग्रामीण विकास विभाग, बिहार के website - rdd.bih.nic.in पर देखा जा सकता है । संविदा आधारित नियोजन हेतु उपलब्ध पदों का नाम, पदों की संख्या, उम्र सीमा, योग्यता एवं अन्य विवरणी निम्न प्रकार है :-

पद का नाम	रिक्तियों की संख्या	नियुक्ति पदाधिकारी	उम्र सीमा	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता
कनीय अभियंता	1290 जिलावार रिक्ति संलग्न	संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी	चयन के वर्ष पहली जनवरी को न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम 37 वर्ष	असैनिक अभियंत्रण में मान्यता प्राप्त संस्थान/ विश्वविधालय से डिप्लोमा / डिग्री

2. संविदा पर नियोजन हेतु पात्रता :-

- आवेदक भारत का नागरिक हो ।
- उम्र सीमा -चयन के वर्ष की पहली जनवरी को न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम 37 वर्ष है । बिहार सरकार के द्वारा समय-समय पर प्रवृत्त अनुसूचित जाति/जनजाति तथा पूर्व सैन्य कर्मियों को नियमानुसार उम्र सीमा में छूट अनुमान्य होगी । यह छूट पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिए दो (2) वर्ष, महिला उम्मीदवारों के लिए तीन (3) वर्ष तथा अनुसूचित जाति / जनजाति के उम्मीदवारों के लिए पांच (5) वर्ष अनुमान्य होगी। पूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम उम्र सीमा में पांच (5) वर्षों की छूट अनुमान्य होगी।
- विकलांगों के लिए उम्र सीमा में छूट एंव आरक्षण नियमानुसार अनुमान्य होगी ।
- कनीय अभियंता के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान / विश्वविद्यालय से असैनिक अभियंत्रण में डिप्लोमा/डिग्री ।

3. मानदेय :- संविदा के आधार पर नियोजित कनीय अभियंता को तत्काल ₹ 20,000/- (बीस हजार) मासिक मानदेय होगा । जिसमें समय-समय पर बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाईटी द्वारा परिवर्तन किया जा सकेगा ।

4. वैसे अभ्यर्थी जो बिहार रूरल डेवपमेंट सोसाईटी के पूर्व के विज्ञापन संदर्भ संख्या पी.आर- 9417 (नि.नि.) 13-14 के आलोक में कनीय अभियंता पद के लिए अपना Online आवेदन अंतिम रूप से Submit किये थे वे निम्न प्रकार से पुन: आवेदन कर सकते है -

- अपना पुराना रजिस्ट्रेशन नम्बर का प्रयोग कर अपने आवेदन में दिये गये Data को पुन: प्राप्त कर सकते है ।
- पुराने Data को यदि आवश्यकता हो तो अद्यतीकरण करके, इस विज्ञापन के विरूद्ध आवेदन पत्र को अंतिम रूप से Submit करेगें ।

5. मेघा सूची का निर्धारण -

कनीय अभियंता - डिप्लोमा/ डिग्री में प्राप्त अंक प्रतिशत के बराबर अंक + असैनिक अभियंत्रण में डिग्री के लिए 20 बोनस अंक ।

6. संविदा के आधार पर नियोजन हेतु जिला स्तर पर समिति निम्न प्रकार गठित होगी।

जिला पदाधिकारी-सह- जिला कार्यक्रम समन्वयक	-	पदेन अध्यक्ष
उपविकास आयुक्त-सह- अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक	-	सदस्य
अपर समाहर्त्ता	-	सदस्य
संबंधित विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी	-	सदस्य
जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत अनु0जाति का एक पदाधिकारी	-	सदस्य

7. आरक्षण :- सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार द्वारा राज्य सरकार की सेवाओं में सीधी नियुक्ति के लिए समय-समय पर निर्धारित आरक्षण प्रावधान लागू होगें ।

8. एकरारनामा - संविदा पर नियोजन के पूर्व चयनित अभ्यर्थी एवं संबंधित ग्रामीण विकास अभिकरण की तरफ से उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक के बीच एक एकरारनामा किया जाएगा ।

9. अनुबंध के आधार पर नियोजित उपर्युक्त सभी कर्मियों की कार्य अवधि प्रथम चरण में दो साल की होगी ।

10. सेवा संतोषजनक पाए जाने की स्थिति में कनीय अभियंता का अनुबंध के आधार पुर्ननियोजन संबंधित प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी की अनुशंसा पर संबंधित उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा अगले दो साल के लिए किया जा सकेगा ।

11. जिलावार रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है।

12. अनुबंध की अवधि समाप्ति के पूर्व यदि नियोजित व्यक्ति का पुर्ननियोजन नहीं होता है तो वैसी स्थिति में निर्धारित तिथि को उनका नियोजन स्वत: समाप्त माना जायेगा और इसके लिए कोई आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा ।

13. अनुबंध के आधार पर नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जाएंगें और न सरकारी सेवकों को अनुमान्य किसी भी सुविधा के हकदार माने जाएंगें ।

14. संविदा पर नियोजित कर्मी स्थायीकरण/नियमतीकरण का दावा नहीं करेंगे और न ही वे इसके पात्र होंगे ।

15. संविदा पर नियोजित कर्मियों के विरूद्ध संविदा की शर्त्तों के उल्लंघन के आरोप में जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक के द्वारा सम्यक कार्रवाई की जा सकेगी ।

16. संविदा पर नियोजित कर्मियों का दायित्व : राज्य सरकार एवं बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाईटी द्वारा समय-समय पर निर्धारित दायित्वों का निर्वहन करना होगा । संविदा पर नियोजित कर्मियों का मुख्य दायित्व क्षेत्र में मनरेगा योजना का सफल एवं पारदर्शी कार्यान्वयन होगा ।

17. संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों पर प्रशासनिक नियंत्रण जिला-पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक का होगा । किसी भी मामले में बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाईटी द्वारा निर्गत आदेश अन्तिम होगा ।

18. चूंकि उक्त योजना केन्द्र प्रायोजित योजना है, अतएव अनुबंध के आधार पर यह सावधिक नियोजन तभी तक मान्य होगा जब तक योजना के कार्यान्वयन हेतु केन्द्र सरकार से आवश्यक निधि प्राप्त होती रहेगी ।

19. आवेदन पत्र का प्रपत्र ग्रामीण विकास विभाग, बिहार के Website - rdd.bih.nic.in पर उपलब्ध है तथा आवेदन पत्र Online ही स्वीकार किए जाएगें ।

20. Online आवेदन पत्र दिनांक 05.06.2014 से 30.06.2014 तक Submit किया जा सकता है।

2.6.14

प्रधान सचिव

ग्रामीण विकास विभाग,

बिहार

ज्ञापांक 187003 **पटना, दिनांक** 02/06/2014

ग्रा॰वि-9(ख)BRDS-51/2013

प्रतिलिपि:- श्री शैलेश कुमार श्रीवास्तव Technical Director NIC को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित / श्री सुनील कुमार, आई.टी.मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

2.6.14

प्रधान सचिव

Districtwise Junior Engineer Strength and Vacancy		
Sl.No	Name of the District	No of Vacancy in the District
1	ARARIYA	33
2	ARWAL	10
3	AURANGABAD	31
4	BANKA	28
5	BEGUSARAI	39
6	BHAGALPUR	37
7	BHOJPUR	34
8	BUXAR	22
9	DARBHANGA	50
10	EAST CAMPARAN	63
11	GAYA	50
12	GOPALGANJ	36
13	JAMUI	24
14	JEHANABAD	15
15	KAIMUR	23
16	KATIHAR	36
17	KHAGARIA	20
18	KISHANGANJ	19
19	LAKHISARAI	12
20	MADHEPURA	26
21	MADHUBANI	61
22	MUNGER	16
23	MUZAFFARPUR	58
24	NALANDA	38
25	NAWADA	28
26	P. CHAMPARAN	47
27	PATNA	50
28	PURNIA	38
29	ROHTAS	37
30	SAHARSA	24
31	SAMASTIPUR	58
32	SARAN	50
33	SHEIKHPURA	9
34	SHEOHAR	9
35	SITAMARHI	42
36	SIWAN	45
37	SUPAUL	28
38	VAISHALI	44
Total		1290